

राजस्थान सरकार

निदेशालय, विकिरसा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

(क्रमांक :- राजपत्रित / सामान्य / प-121/2015/

दिनांक :

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 17.03.15 से 15.04.15 तक Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० सुमेश खिच्चर	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बादरा, हनुमानगढ़
2.	डा० इरफान अली खत्री	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीडवाना, नागौर
3.	डा० मारुफ खान	चिऽ०३०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाउन, झुन्झुनु
4.	डा० विनोद कुमार योगी	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवन, जयपुर
5.	डा० ज्योति शर्मा	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाटिका, जयपुर
6.	डा० श्याम लाल	चिऽ०३०प्र०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानद, झुन्झुनु
7.	डा० युसुफ खान	चिऽ०३०	जिला चिकित्सालय, चुरु
8.	डा० अशोक कुमार दादरवाल	चिऽ०३०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु के अधीन
9.	डा० सबा फजली	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामोर, टॉक
10.	डा० अमित कुमार शर्मा	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीढ़, नागौर
11.	डा० अमित कुमार शर्मा	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धीमनपुरा, जयपुर
12.	डा० ऋषि कुमार	चिऽ०३०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद, सीकर
13.	डा० खुशबू सैनी	चिऽ०३०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद, सीकर
14.	डा० सुरेश यादव	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करना, अलवर
15.	डा० आरीफ अहमद	चिऽ०३०प्र०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैलवा, राजसमंद
16.	डा० अमरीन खां	चिऽ०३०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुधाड़ा, जोधपुर
17.	डा० रीना जैन	चिऽ०३०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुडेरा, सराईमाधोपुर
18.	डा० बलबन्त विकास	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आजदीकला, झुन्झुनु
19.	डा० अजयदीप वर्मा	चिऽ०३०	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेडीबड़ी, बांसवाड़ा
20.	डॉ० ज्योति शर्मा	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी (जयपुर)
21.	डॉ० संजय प्रभुणे	चिऽ०३०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाचुरानी(अलवर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 11.03.2015 को प्रातःकाल 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे अन्यथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.६(६)ट्रेनिंग (पीएल-२)/आर.एच.एस.डी.पी./०७/४४०५ दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठीन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (परिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित / सामान्य / प-121/2015/१७५

दिनांक : ११-३-१५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 14953 दिनांक 18.02.2015 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 17.03.2015 को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डिलाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।